



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 पुनरावलोकन

पि.सू. - 3225-832-16

श्री. अशोक कुमार जैन को
दान आज 20-9-16
भारत

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

20/9/16

1. अशोक जैन पुत्र श्री सगुन चन्द्र जैन,

निवासी-59, सत्यनारायण संतर, मुरार ग्वालियर

2. कु. कोकिला जैन पुत्री श्री अशोक जैन,

3. कु. स्पनिल जैन पुत्री श्री अशोक जैन

दोनो नाबालिक पुत्रियों के सरपरस्त पिता

स्वयं अशोक जैन निवासीगण-59 सत्यनारायण
संतर मुरार ग्वालियर म.प्र.

4. राघवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री कप्तान सिंह तोमर
निवासी-न्यू विवेक नगर, मेलाग्रउण्ड के पीछे
गोला का मंदिर ग्वालियर

5. चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा
निवासी-नर्मदा कॉलोनी बैजल कोठी मुरार
ग्वालियर म.प्र.

6. राजीव पुत्र श्री के.डी. त्रिपाठी,
निवासी-लोचन नगर मुरार ग्वालियर

.....आवेदकगण

बनाम

1. रामस्वरूप गुलाठी पुत्र श्री खैरातीलाल गुलाठी
(फौत) वारिशान
- अ. श्रीमती विमल गुलाठी पत्नी स्व. श्री
रामस्वरूप गुलाठी



(2)

- ब. संतकुमार गुलाठी पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप गुलाठी,
स. श्रीमती सरिता पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप गुलाठी
2. केशव प्रसाद शिवहरे पुत्र श्री भगवती प्रसाद शिवहरे
3. रमेशचन्द्र पुत्र श्री कुन्दनलाल शिवहरे
निवासीगण-मोतीमहल रोड, ग्वालियर
4. डॉ.आर.जी. वाला पुत्र श्री गनपत वाला
निवासी-शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
5. जी.डी. जैन पुत्र श्री नामालुम
निवासी-शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
6. राकेश तोमर पुत्र श्री नामालुम
निवासी-शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
7. श्यामसुन्दर गुलाठी पुत्र श्री खेरातीलाल गुलाठी
निवासी-शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
8. अजय अग्रवाल पुत्र श्री नामालुम
निवासी-शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
9. निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री नामालुम
निवासी-शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर
10. रमेशचन्द्र जैन पुत्र श्री नामालुम
निवासी-शशि कॉलोनी मोतीमहल रोड ग्वालियर

.....अनावेदकगण

पुनरावलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता

(3)

1959 वास्ते प्रकरण क्रमांक निगरानी 3952-पी.बी.आर./2012
रामस्वरूप गुलाठी बनाम अशोक जैन में पारित आदेश दिनांक 09.
08.2016 को रिकॉल किये जाने बावत्।



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3225-पीबीआर/2016

[अधिवक्ता/राजस्व मूलादी]

जिला ग्वालियर

पृष्ठ क्रमांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभावकों
आदि के हस्ताक्षर

05-10-16

आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3952-पीबीआर/2012 में पारित आदेश दिनांक 9-8-2016 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-

1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के फ़्यात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों ।




अध्यक्ष